न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)
अपील संख्या : 28 / 2024
तारीख रजू : 11.06.2024 निर्णय दिनांक : 07.01.2025

उनवान

1. चांदली बेवा भगवाना
2. करतार सिंह पुत्र भगवाना
3. जवाहरलाल पुत्र भगवाना

समस्त जातियान जाट निवासी बीघाना जाट तहसील बहरोड हाल तहसील नीमराणा हाल तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड – अपीलान्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार महोदय उपतहसील नीमराणा हाल तहसील माढण जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
2. वीर सिंह पुत्र विजय सिंह
3. महेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह
4. कुशल पाल सिंह पुत्र विजय सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी सांतो तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड।

5. तहसीलदार मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड।
6. सब रजिस्ट्रार तहसील कार्यालय मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड।

– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 171 ग्राम बीघाना जाट तहसील बहरोड हाल तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड तस्दीक द्वारा नायब तहसीलदार उप तहसील नीमराणा हाल तहसील माढण फैसल दिनाक 09.09.1996

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. श्री सतीश कुमार यादव – वकील अपीलान्ट
02. पैरोकार सरकार
03. श्री विष्णुदत्त शर्मा – रेस्पोडेन्टस संख्या 02 से 04 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट्स ने यह अपील ग्राम बिघाना जाट तहसील बहरोड़ हाल तहसील मांढण द्वारा नामांतकरण संख्या 171 दिनांक 09.09.1996 को पारित आदेश से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस उभय पक्ष अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नंबर 51 रकबा 23 बीघा 10 बिश्वा 221 रकबा 3 बीघा 2 बिश्वा कुल किता 02 रकबा 26 बीघा 12 बिश्वा एवं आराजी साबिक खसरा 105 रकबा 6 बीघा 19 बिश्वा 129 रकबा 3 बीघा 1 बिश्वा 228 रकबा 3 बीघा 17 बिश्वा 257 रकबा 2 बीघा 9 बिश्वा 224 रकबा 18 बीघा 222 रकबा 13 बीघा 6 बिश्वा खसरा नबर 209 रकबा 19 बीघा 1 बिश्वा वाके मौजा बीघाना जाट तहसील बहरोड हाल तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड मे स्थित है। उपरोक्त भूमि के आराजी साबिक खसरा नंबर 228 रकबा 3 बीघा 17 बिश्वा के 1/4 हिस्सा व आराजी साबिक खसरा नंबर 51 रकबा 23 बीघा 10 बिश्वा, 221 रकबा 3 बीघा 2 बिश्वा कुल कित्ता 02 रकबा 26 बीघा 12 बिश्वा के 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार छगा पुत्र केहर थे तथा शेष आराजी के खातेदार काश्तकार सरदारा हरिसिंह पुत्रान श्योदीन रामजीलाल पुत्र मेहरचंद रामसिह जयसिंह लख्मीचद पुत्रान बदलूराम थे छगा पुत्र केहर की मृत्यु उपरांत उनके वारिसान उनके लडके भगवाना रतिराम पुत्रान छगा उपरोक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हुए तथा दौराने सैटलमेट खसरा परिशोधन संख्या 06 दिनांक 04.02.1983 के द्वारा भगवाना, रतिराम पुत्रान छगा के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुआ। तदोपरांत उपरोक्त भूमि का पक्षकारान ने दिनाक 24.12 1983 को एएसओ कम तहसीलदार महोदय अलवर के समक्ष उपस्थित होकर भूमि का बंटवारा कर लिया एवं बटवारे में आराजी हाल खसरा नंबर 176/0.56, 177/1.46, 180/0.38, 182/0.62 183/1.20 भगवाना पुत्र छगा के हिस्से में आए तथा आराजी हाल खसरा नंबर 178/0.51, 179/1.02 रतिराम पुत्र छगा के हिस्से में आए एव आराजी हाल खसरा नंबर 503/0.44, 505/0.16, 523/0.51 524/0.46, 503/744/0.27 रामजीलाल पुत्र मेहरचद के हिस्से में आई तथा आराजी हाल खसरा नंबर 504/010 लख्मीचद पुत्र बदलूराम के हिस्से में व आराजी हाल

सत्यप्रतिलिपि

रीडर
न्यायालय जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

र नबर 227, 227/721 सरदार सिह पुत्र श्योदीन सिंह के हिस्से में आई। उसी प्रकार की मौके पर राज हुए। भगवाना पुत्र छगा की मृत्यु उपरांत उनके वारिसान अपीलाट उपरोक्त भूमि पर बतौर खातेदार श्तकार काबिज हुए। तदोपरात अपीलाट द्वारा रिकॉड का अवलोकन करने पर जाहिर हुआ कि आराजी हाल खसरा नंबर 176 का रकबा सवहन से 2.56 हैक्टेयर की बजाय 0.56 हैक्टेयर अंकित कर दिया एवं उपरोक्त भूमि में से 0.56 हैक्टेयर भूमि अपीलांट के पिता द्वारा खेमचंद पुत्र सगरूराम को बेचान कर दिया था। उपरोक्त तथ्य की जानकारी होने पर अपीलांट ने रिकॉर्ड में दुरूस्ति किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर आराजी हाल खसरा नंबर 176 का रकबा 0.56 हैक्टे. की बजाय 2.56 हैक्टेयर दुरूस्त करवा लिया। जिसके पश्चात रेस्पोडेंड संख्या 2 लगायत 4 ने बिना अपीलांटगण को सूचित किये एव बिना अपीलाट की जानकारी में जरिये नामांतरण संख्या 171 ग्राम बीघानाजाट पटवारी हल्का से विक्रय पत्र दिनांक 11.10.1986 पुस्तक संख्या पृष्ठ संख्या 126 कम सख्या 60 का हवाला देते हुए अपीलाटगण के स्थान पर 2.00 हैक्टेयर भूमि में स्वयं का नाम दर्ज करवा लिया तथा तत्कालीन आईएलआर ने बिना रिकॉर्ड का मिलान किये एवं बिना अपीलाटगण को सूचित किये उपरोक्त नामातरण को गलत रूप से रिकॉर्ड अनुसार सही होना जाहिर करते हुए स्वयं की रिपोर्ट प्रस्तुत की एव तदोपरांत तत्कालीन नायब तहसीलदार नीमराणा ने बिना अपीलाट को सूचित किये एव बिना अपीलाट को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिए दिनांक 09.09.1996 को उपरोक्त नामातरण विधि विरुद्ध जामकर स्वीकार कर लिया। नामांतरण सख्या 171 ग्राम बीघानाजाट विकय पत्र दिनाक 11.10.1982 की अनुपालना मे दर्ज किया गया है। अपीलांट ने जाहिर किया कि विकय पत्र दिनांक 11.10.1982 के अनुसार भगवाना, रतिराम पुत्रान छंगा द्वारा आराजी साबिक खसरा नंबर 51, 221, 228 वाके मौजा बीघाना जाट में स्वय का 1/4 हिस्सा यानि भगवाना पुत्र छगा के द्वारा उपरोक्त विकय पत्र में 1/8 हिस्से का विक्रय पत्र किया जाना जाहिर होता है एवं साबिक खसरा नंबर 51 से बने हाल खसरा नंबर 176/2.56 वाके मौजा बीघाना जाट में 2.00 हैक्टेयर पर अपीलाटगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज थे, कि संपूर्ण भूमि पर विधि विरूद्ध जाकर रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 का नाम पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर नायब तहसीलदार नीमराणा के समक्ष प्रस्तुत किया एव नायब तहसीलदार नीमराणा द्वारा उपरोक्त नामांतरण को विधि विरूद्ध बिना अपीलाट को सूचित किये स्वीकार किया है। दिनांक 11.10.1982 को भगवाना रतिराम पुत्रान छंगा उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं थे न ही उन्हे उपरोक्त भूमि को बेचान करने का कोई कानूनी हक हासिल था क्योकि भगवाना, रतिराम पुत्रान छगा के नाम उपरोक्त भूमि मे राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दिनाक 04.02.1983 को जरिये खसरा परिसोधन पत्र से अंकित किया गया है। नामांतरण संख्या 171 ग्राम बीघाना जाट में अंकित विकय पत्र दिनांक 10.11.1982 साबिक खसरा नबर से बेचान किया जाना दर्शित किया है तथा उपरोक्त विकय पत्र तस्दीक किये जाते समय भगवाना, रतिराम पुत्रान छगा न तो खातेदार थे न ही उन्हे उपरोक्त भूमि को बेचान करने का कोई कानूनी हक हांसिल था। इसके उपरांत भी भूमि में भगवाना, रतिराम पुत्रान छंगा के पिता की मृत्यु उपरांत दिनाक 04.02.1983 को छंगा का विरासत इंतकाल दर्ज किये के उपरात अन्य खातेदारो के द्वारा भूमि का बटवारा किया जा चुका था एवं बटवारे के उपरांत अपीलांट के पिता भगवाना पुत्र छगा के हिस्से में आई भूमि का भगवाना की मृत्यु उपरांत अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी थी। ऐसी सूरत में धारा 135 (1) एलआर एक्ट के तहत विकय पत्र दिनांक 11.10.1982 के आधार पर नामांतरण दर्ज किया जाना कानूनन संभव नही था। उपरोक्त संपूर्ण तथ्यो का निस्तारण नियमित वाद द्वारा ही किया जा सकता था। एव पटवारी हल्का को उपरोक्त नामांतरण दर्ज किये जाने से पूर्व तत्कालीन तहसीलदार महोदय के समक्ष उक्त नामांतरण पत्रावली प्रस्तुत किये जाने व प्रकरण 135 (2) एलआर एक्ट में दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिये जाने के उपरांत ही नामातरण दर्ज किये जाने के आदेश दिए जा सकते थे, परंतु पटवारी हल्का ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उपरोक्त नामांतरण दर्ज कर तत्कालीन आईएलआर के समक्ष प्रस्तुत किया एवं तत्कालीन आईएलआर ने संपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल एवं विक्रय पत्र दिनांक 11.10.1982 का अवलोकन किये बिना, विधि विरूद्ध जाकर नामांतरण को सही होने की टिप्पणी नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया एव नायब तहसीलदार द्वारा कानून के विपरीत जाकर दर्ज किये गये उपरोक्त नामातरण पर बिना अपीलाट को सुनवाई का अवसर दिये विधि विरूद्ध नामातरण तस्दीक किया है। अन्त में वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरण संख्या 171 ग्राम बीघानाजाट तहसील बहरोड हाल तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड तस्दीक द्वारा नायब तहसीलदार उप तहसील नीमराणा हाल तहसील माढण फैसल दिनांक 09.09.1996 खारिज कर आराजी हाल खसरा नंबर 176/2.56 वाके मौजा बीघाना जाट में रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 के स्थान पर अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। वकील अपीलांट ने आरआरडी 1997 पेज न0 185 से 189 नजीर पेश की।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या ने उपस्थित होकर वकील अपीलान्ट के कथनों को अस्वीकार करते हुए लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा पेश अपनी अपील में इन्तकाल संख्या 171 के सम्बन्ध में जो बयनामा दिनांक 11.10.1982 के आधार पर नायब तहसीलदार नीमराणा तहसील बहरोड द्वारा जो हाल तहसील मांढण के द्वारा दिनांक 9.9.1996 को निर्णय किया गया है में अपीलान्ट का कथन है कि छंगा पुत्र केहर की मृत्यु के बाद उसके लड़के भगवाना, रतिराम पुत्रान छंगा उपरोक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हुये तथा उन्होने अपने हिस्से व कब्जे की आराजी का जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.10.1982 को सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके बेचान कर दिया तथा कब्जा मिन रेस्पोडेन्ट को सम्भला दिया लेकिन इस

सत्यप्रतिलिपि

रीडर

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

न्यायालय जिला
कोटपूतली-बहरोड़

काय चल रहा था दौराने सैटलमैन्ट उक्त आराजी को 4.2.1983 को भगवाना और रतिराम में र्मचारियो से मिलकर अपनी बेचान सुदा आराजी की भी खातेदारी दर्ज करवा ली। इसके उपरान्त 24.12.1983 को ए.एस. ओ. कम तहसीलदार महोदय अलवर के समक्ष उपस्थित होकर विवादित आ का बटवारा कर लिया जिसमें उक्त आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट के हक में किये गये बेचान के को छुपा लिया तथा हाल खसरा नम्बर 176 / 0.56, 177 / 1.46, 180 / 0.38, 182 / 0.62, 183 / 1.20 क्टयर भगवाना पुत्र छंगा के हिस्से में तथा 187 / 0.51, 179 / 1.02 हैक्टयर रतिराम के हिस्से में आई इस प्रकार दोनो भाईयो ने विवादित आराजी का बटवारा कर लिया और जो मिन रेस्पोडेन्ट के हिस्से की आराजी थी वह भी भगवाना के पास ही थी इसके बाद मिन रेस्पोडेन्ट ने सहायक कलक्टर बहरोड के यहां एक दिवानी वाद पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 107 / 1989 बअनुवान वीरसिंह बनाम रतिराम वगैरा जिसमें चांदली बेवा भगवाना व अपीलान्ट अन्य भी पक्षकार थे। और न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर बहरोड़ द्वारा निर्णय कर विवादित आराजी जिसमें मिन रेस्पोडेन्ट ने जरिय रजिस्टर्ड बयनामा के खरीद किया था उसका इन्तकाल उक्त बयनामा व कब्जा मौका के दर्ज करने के आदेश नायब तहसीलदार बहरोड़ को दिनांक 23.11.1995 को दिये थे, जिसकी पालना में उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 176 रकबा 0.56 हैक्टयर कर दिया था जिसको दुरस्त कर 2.56 किये जानें के आदेश दिये थे, उसकी पालना में इन्तकाल संख्या 171 दर्ज कर मिन रेस्पोडेन्ट के हक में इन्तकाल दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड में अमल किया गया था। रतिराम द्वारा दिनांक 1.9.1986 को एक बयनामा किया गया था जिसमें नये खसरा नम्बर 179 है उसमें भी रतिराम ने पूर्व बेचान व बटवारे में जो खसरा नम्बर आये है, जिसमें साबिक खसरा नम्बर 51 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा में से किये गये बेचान की बात स्वीकार की है इसलिये दौराने बन्दोबस्त खसरा नम्बर 176 का रकबा 0.56 हैक्टयर कर दिया था उसे ही सहायक कलक्टर बहरोड़ द्वारा दुरस्त कर रकबा 2.56 हैक्टयर किये जाने के आदेश दिये थे और उक्त निर्णय में अपीलान्ट उपस्थित रहे थे, जिनकी सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया था। अपीलान्ट द्वारा पेश अपील मियाद बाहर है क्योकि उनकी जानकारी में उक्त रिकोर्ड व रकबा के सम्बन्ध में जब आपस में बटवारा दिनांक 24.12.1983 को किया था तथा भगवाना के वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज हुआ उस समय भी अपीलान्ट को इसकी जानकारी में था। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 8.9.2022 को एक राजस्व वाद करतारसिंह बनाम कृष्ण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के यहां पेश किया गया है। उस समय भी इनकी जानकारी में था, जबकि अपीलान्ट ने अपने अपील पेश करते समय दफा 5 मियाद अधिनियम में वर्णन किया है कि उक्त इन्तकाल की जानकारी उनको 2024 में आई है इसलिये अपील पेश की जा रही है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा स्वस्थ हस्त नहीं आने एवं मियाद बाहर होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 पर विचार किया गया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट का यह कथन गलत प्रतीत होता है कि तहत के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.09.1996 की जानकारी होते ही यह अपील पेश की गई है। अपील 09.09.1996 के विरूद्ध 11.06.2024 अर्थात लगभग 28 वर्ष बाद यह अपील पेश की गई है। रेस्पो0 के द्वारा पेश दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि नामांतकरण संख्या 171 ग्राम बीघाना जाट तहसील बहरोड हाल तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड का निर्णय दिनांक 09.09.1996 की जानकारी अपीलान्ट को रही है चूंकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के यहां राजस्व वाद बउनवान करतारसिंह बनाम कृष्ण वगै0 मुकदमा नं0 370 / 2022 पेश किया है, जिसमें उक्त नामांतकरण संख्या 171 को बेअसर करार दिये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलान्ट द्वारा मियाद के बिन्दू पर जो मियाद अवधि माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया उसमें भी उसको उस नामांतकरण की जानकारी कब हुई, दिनांक अंकित नही की है। साथ ही उक्त अपील पेश करने में उसे इतनी देरी क्यो हुई, इसका कोई विशेष उल्लेख दफा 5 के प्रार्थना पत्र में नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद जिसमें अपीलान्ट पक्षकार है, तथा नामांतकरण संख्या 171 का वादपत्र में उल्लेख करते हुए पेश किया गया है का अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट को उक्त पारित आदेश 09.09.1996 की जानकारी रही है। इस प्रकार वकील रेस्पो0 की लिखित बहस में उल्लेखित तथ्य पूर्ण रूप से साबित होता है कि नामांतकरण के संबंध में अपीलार्थी को जानकारी होते हुए यह अपील मियाद बाहर पेश की गई है। वकील रेस्पो0 ने आरआरडी 2017 पेज न0 201, आरआरडी 2019 पेज न0 267 और आरआरडी 2008 पेज न0 171 नजीरे पेश की, जो प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होती है। अतः अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने के कारण अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुलै न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

सत्यप्रतिलिपि

रीडर
न्यायालय जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते